# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. बतास्या पुत्र किशोरी
2. धनीराम पुत्र किशोरी
3. सरदार पुत्र किशोरी
4. सियाराम पुत्र किशोरी
5. गजराज पुत्र किशोरी

समस्त जाति मीना निवासीयान कमालपुरा तहसील टोडाभीम।

**वादीगण**

**बनाम**

1. इन्द्राज पुत्र पुखराज
2. सिरमोहर पुत्र पुखराज
3. मल्ला पुत्र पुखराज
4. रूपी पुत्र पुखराज
5. पुजा पत्नि सिरमोहर
6. अनिता पत्नि इन्द्राज

समस्त जाति मीना निवासी कमालपुरा तहसील टोडाभीम।

**प्रतिवादी गण**

**दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा**

मु0न0 11/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू ................................. .हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः यह दावा वादीगण बावत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाता है, तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम कमालपुरा के आराजी ख0न0 1006 रकवा 0.82 है0 मे वादीगण के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज.....—.....मुबलिंग.....—.....बाबत.....—.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....—.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....—.....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 04.10.2019 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:00:02 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत.......................... उपजिला कलक्टर

ओहदा.......................... टोडाभीम (करौली)

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 11/16 तारीख रजू:– 22.2.16

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. बतास्या पुत्र किशोरी
2. धनीराम पुत्र किशोरी
3. सरदार पुत्र किशोरी
4. सियाराम पुत्र किशोरी
5. गजराज पुत्र किशोरी

समस्त जाति मीना निवासीयान कमालपुरा तहसील टोडाभीम।

वादीगण

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र पुखराज
2. सिरमोहर पुत्र पुखराज
3. मल्ला पुत्र पुखराज
4. रूपी पुत्र पुखराज
5. पुजा पत्नि सिरमोहर
6. अनिता पत्नि इन्द्राज

समस्त जाति मीना निवासी कमालपुरा तहसील टोडाभीम।

प्रतिवादी गण

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–1. सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (वादीगण)

निर्णय दिनांक:– 04.10.2019

वाद पत्र मे तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार पेश किया है कि वादीगण ग्राम कमालपुरा की आराजी ख0न0 1006 रकवा 0.82 है0 के खातेदार काश्तकार है। व काबिज आराजी है। मौके पर सरसो की फसल सरसब्ज हालत मे खडी है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण एवं अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो गरीब व कमजोर व्यक्यिो की जमीन को हडपने की फिराक मे रहते है। उनकी औरते भी उनके गलत कार्यो मे सहयोग देती है। घटना दिनांक 17.2.2016 की है कि उक्त आराजी मे अपनी फसल सरसो की देखभाल कर रहे थे कि अचानक प्रतिवादीगण हाथो मे लाठी डण्डा लेकर मौके पर आये वादी न0 1 जो शारीरिक रूप से वृद्व व कमजोर व्यक्ति है से गाली देते हुये कहा कि उक्त जमीन पर हम कब्जा करेगे। और तुम्हारे द्वारा बोई सरसो की फसल को हम काटेगे तुम्हे दुबारा जोतने बोने नही देगे। इस जमीन पर हम कब्जा करेगे। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया परन्तु वो नही माने तैयार नही हुये और झगडा कर भूमि पर जबरन कब्जा करने की व बेदखल करने व खडी सरसो की फसल को काटकर लेजाने की धमकी देने के कारण वादीगण को यह दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:00:02 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत स्थायी निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि आराजी ख0न0

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

1006 रकवा 0.82 है0 स्थित ग्राम कमालपुरा मे वादीगण के कब्जेकाश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। और वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा नही करे। वादीगण की फसल को ना तो काटे और नाही नष्ट करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया कि यह भूमि वादीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी मे नही है उक्त विवादित आराजीयात मे सरसो की फसल प्रतिवादी ने हिस्सा 1/2 मे काश्त की है वाद पत्र मे अंकित समस्त तथ्य बिल्कुल गलत झुटे व मनगंढत है वादीगण ने दावा अनावश्यक ही पेश किया है। अतिरिक्त जबाब दावे मे वर्णित किया है कि आराजी ख0न0 1006 रकवा 0.82 है0 के साबिक ख0न0 675 रकवा 3 बीघा 5 बिस्वा है किशोरी बडा भाई था। परिवार का कर्ताधर्ता था। चैन्या छोटा भाई था दोनो के ही बुजुर्ग किशोरी व चैन्या उक्त विवादित आराजीयात मे हिस्सा 1/2–1/2 उनके जीवनकाल से ही तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण आज तक निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। पिछली फसल सरसो प्रतिवादीगण ने अपने हिस्सा 1/2 मे काश्त की थी, तथा काटी थी चुकि प्रतिवादीगण के पिताजी व भाई धनराज व मनराज व प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का बटवारा हो गया था। विवादित ख0न0 1006 मे जो हिस्सा धनराज व मनराज का था। वह प्रतिवादीगण के हिस्से मे आया। ओर प्रतिवादीगण ही कई वर्षो से काश्त कर रहे है। इस प्रकार भूमि ख0न0 1006 के हिस्सा 1/2 के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। तथा अपने नाम खातेदारी कराने के हकदार है। न्यायालय मे वादपत्र उनवानी केशन्ती बनाम बतास्या आदि बाबत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा विचाराधीन है। वादीगण लठेत व गिरोहबन्द आदमी है तथा आपराधिक किस्म के व्यक्ति है सियाराम, बतास्या, सरदार पर कई फौजदारी मुकदमा विचाराधीन है प्रतिवादीगण को मारपीट का भय दिखाकर डराते धमकाते है और भूमि विवादित मे अपने हिस्सा 1/2 काश्त करने मे रूकावट पैदा करते है प्रतिवादीगण को अपनी भूमि काश्त करने मे काफी भय व्याप्त है तथा वह काश्त करने गये तो जान को खतरा है। अत जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज किया जावे।

निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया यह है कि ग्राम कमालपुरा की भूमि ख0न0 1006 रकवा 0.82 है0 की खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि है प्रतिवादीगण का इस भूमि से किसी प्रकार का कोई संबध किसी प्रकार का नही है प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के हकदार है।

(जिम्मेवादी)

2. आया यह है कि किशोरी बडा भाई कर्ता खानदान था चैन्या छोटा भाई था दोनो के ही बुजुर्ग विवादित भूमि मे हिस्सा 1/2–1/2 उनके जीवन काल से ही तथा उनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण आज तक निरन्तर काश्त कर रहे है।

(जिम्मे प्रतिवादी)

3. आया यह ख0न0 1006 है कि प्रतिवादीगण के पिता के भाई धनराज, मनराज व प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का बटवारा हो गया था उनका हिस्सा व प्रतिवादीगण का हिस्सा अर्थात कुल 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। खातेदारी कराने के [illegible] खारिज योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:00:02 IST
Reason: SelfAttested

(जिम्मे प्रतिवादी)

वादी की ओर से वाद पत्र के [illegible] मे ग्राम कमालपुरा की नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–74 प्रदर्श–[illegible] सम्वत 2043–62 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2041–44 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2036–39 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

सम्वत 2032–35 प्रदर्श–5, नकल नामांतकरण संख्या 116 प्रदर्श–6, नकल पर्चा मौका दिनांक 24.6.2016 प्रदर्श–7, तथा वादी गजराज का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

दिनांक 19.8.19 को प्रतिवादी वकील एवं प्रवितादीगण मे से किसी के भी उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य सबूत भी प्रस्तुत नही किये है।

वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि आराजी ख0न0 1006 रकवा 0.82 है0 स्थित ग्राम कमालपुरा वादीगण के कब्जेकाश्त की आराजी है, वादीगण के पिता किशोरी पुत्र रिसपाल को यह भूमि नियमन हुई है। वादीगण को यह भूमि विरासत से प्राप्त हुई है। इस भूमि से प्रतिवादीगण या उनके बुजुर्गो का किसी प्रकार से कोई संबध नही है। अतः प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी ख0न0 1006 रकवा 0.82 है0 मे वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नही करे।

वादी वकील की बहस सुनी गई, तनकीवार निर्णय इस प्रकार है:–

तनकी न0 1:– ग्राम कमालपुरा नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–74 प्रदर्श–1 के खाता संख्या 294 के अनुसार आराजी ख0न0 1006 रकवा 0.82 है0 की खातेदारी वादीगण के नाम है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2032–35 प्रदर्श–5, मे साबिक ख0न0 675 रकवा 3 बीधा 5 विस्वा का नियमन किशोरी पुत्र रिशपाल मीना के नाम का नोट अंकित है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2041–44 प्रदर्श–3 के खाता संख्या 501 मे गैरखातेदारी से खातेदारी स्वीकार है का अंकन है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श–2 के अनुसार साबिक ख0न0 675 रकवा 3 बीधा 5 बिस्वा से नवीन ख0न0 1006 रकवा 0.82 है0 बने है। उक्त दस्तावेजो के अनुसार यह भूमि वादीगण के हक मे विरासत से प्राप्त हुई है वर्तमान रिकार्ड के अनुसार खातेदारी वादीगण के नाम है। यह तनकी वादीगण के पक्ष मे साबित है। प्रतिवादीगण का कोई संबध किसी प्रकार से नही है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के लिये यह तनकी वादीगण के हक मे बखिलाफ प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी न0 2 व 3:– प्रतिवादीगण की और से कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किये गये है अतः उक्त तनकीया बखिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

आदेश

अतः यह दावा वादीगण बावत स्थायी निषेधाज्ञा डिकी किया जाता है, तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम कमालपुरा के आराजी ख0न0 1006 रकवा 0.82 है0 मे वादीगण के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

04/10/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:00:02 IST
Reason: SelfAttested